

—प्रेस नोट—

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-26.02.2021

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज के लिए प्रताडित करने व आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 05 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज के लिए प्रताडित करने व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली अभियुक्ता को को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 05 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.12.2011 को थाना जिगना क्षेत्र निवासी वादी संतोष कुमार दुबे पुत्र रमाशंकर दुबे निवासी हरगढ़ थाना जिगना के तहरीर के आधार पर रमा देवी पत्नी रमेश तिवारी निवासी बरबटा थाना जिगना मीरजापुर के विरुद्ध, थाना जिगना पर मु0अ0सं0-323/2011 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आरोपी अभियुक्ता को थाना जिगना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 18.02.2012 को मा0 न्यायालय में आरोपप्रत्र प्रेषित किया गया तथा थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी अभियुक्ता को आज दिनांक 26.02.2021 को मां0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा 05 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

सजायाफ्ता अभियुक्त-

1. रमा देवी पत्नी रमेश तिवारी निवासी बरबटा थाना जिगना मीरजापुर।